संख्या-23/2026/I-1243586/सा0-63/38-2-2026
38-2099-99-110-2024

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2026

विषयः- जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी में पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण अनावासीय/आवासीय भवन के पुनः निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्रांक-66/मु0प्रा0प0/एतसप/सामु0वि0/2025-26, दिनांक 12 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-कटेहरी में पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन क्रमशः रू0 139.66 लाख एवं रू0 634.79 लाख नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या-29/2025/I-886180/सा0-227/38-2-2024, दिनांक 20 फरवरी, 2025 द्वारा अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी में जीर्ण-शीर्ण **अनावासीय भवनों** के पुनः निर्माण हेतु रू0 117.46 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-30/2025/I-885609/सा0-227/38-2-2024, दिनांक 20 फरवरी, 2025 एवं शासनादेश संख्या-48/2025/I-915166/सा0-177/38-2-2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा **आवासीय भवनों** के पुनः निर्माण हेतु धनराशि रू0 392.03 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-कटेहरी में पूर्व में निर्मित जीर्ण-शीर्ण अनावासीय एवं आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में प्रस्तर-2 में अंकित पूर्व निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने एवं तत्पश्चात यदि आवश्यकता हो तो नियमानुसार पुनरीक्षित आगणन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

संख्या-23/2026/I-1243586/सा0-63/38-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
5- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर।
7- कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
8- जिला अर्थ एवं संख्या, अधिकारी, अम्बेडकर नगर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
10- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अम्बेडकर नगर।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से
चन्द्रिका प्रसाद
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।